




DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI

Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035

E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

Website : www.dsrdsdelhi.com

Registration No. : S/3097/SDM/NW/2018



DSRDS

Ref. : DSRDS-DELHI/2018/NO. 10-16

Date: 30-04-18

SHIV KUMAR GARG

President

9212567435

JAGDISH PRASHAD

Sr. Vice President

9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL

Vice-president

9810630323

SHYAM SUNDAR

Vice President

9911178848

SUNIL SHARMA

Vice President

9310023180

MANOJ SHARMA

Vice President

9582203929

HARI KRISHAN (LILU)

Vice-President

9212442834

SITARAM

Gen. Secretary

9312238830

RAJNEESH SHARMA

Secretary

9818569678

SAURABH GUPTA

Secretary

9810943745

MATLOOB ALAM

Secretary

9818946781

MANJEET KAUR

Secretary

9210565722

RAHUL AGGARWAL

Treasurer

9871420213

सेवा में,
श्रीमान अनिल बैजल जी, IAS
माननीय उपराज्यपाल महोदय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली,

विषय:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, दिल्ली में सरकारी राशन की बिक्री E-POS मशीन की बजाय मैनुअल करने पर और राशन डीलर्स की मार्जिनमनी/ कमीशन 2/- प्रति किलो से घटाकर 70 पैसे प्रति किलो करने पर दिल्ली में ईमानदारी से राशन दुकान चलाना असंभव.

महोदय,

दिल्ली में NFS (National Food Security) के अंतर्गत राशन वितरण के लिए सरकार और विभाग द्वारा E-POS मशीनें और EWM (Electronic Weighing Machine) लगाई गई। इस नई प्रणाली को प्रयोग के तौर पर दिल्ली की कुछ राशन दुकानों पर दिसंबर 2017 से और पूर्ण दिल्ली में, 1 जनवरी 2018 से सभी राशन दुकानों पर लागू किया गया! दिल्ली की सभी राशन दुकानों पर E-POS मशीन और इलेक्ट्रॉनिक काँटा (EWM) सहित देकर राशन की बिक्री 2/- रुपये प्रति किलो के मार्जिन मनी पर वितरण करने को बोला गया, और यह वितरण दिल्ली के सभी राशन डीलर्स द्वारा किया गया.

शुरुआत में नये सिस्टम को पूर्णतः न समझ पाने के कारण दिल्ली के FPSs को इस नई प्रणाली ने परेशान भी किया, परन्तु दिल्ली के समस्त दुकानदारों ने अपनी लगन और मेहनत से दिल्ली में लगी E-POS मशीनों द्वारा अप्रैल 2018 तक राशन को सुचारु रूप से जनता को वितरण किया। इस दौरान दिल्ली के समस्त दुकानदारों ने E-POS मशीनों को अपने मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से चलाया और इसको सफल किया जिससे सभी ग्राहक संतुष्ट थे। परन्तु अचानक से दिनांक 25-04-2018 को E-POS को हटाने के आदेश विभाग द्वारा जारी कर दिया गया और दिल्ली के सभी दुकानदारों को मैनुअल राशन वितरण करने के आदेश दिये गए। इन आदेशों के परिणामस्वरूप, दिल्ली के सरकारी खजाने से खरीदी गई करोड़ों रुपये की इ-POS मशीन और EWM को कबाड़ बना दिया गया, जिससे दिल्ली सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

Rd by ... & Supply Office (R&D)
11/5/18 ...
...



DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI

Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035

E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

Website : www.dsrdsdelhi.com

Registration No. : S/3097/SDM/NW/2018



DSRDS

Ref. : DSRDS-DELHI/2018/NO. 10-16

Date : 30-04-18

SHIV KUMAR GARG

President

9212567435

JAGDISH PRASHAD

Sr. Vice President

9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL

Vice-president

9810630323

SHYAM SUNDAR

Vice President

9911178848

SUNIL SHARMA

Vice President

9310023180

MANOJ SHARMA

Vice President

9582203929

HARI KRISHAN (LILU)

Vice-President

9212442834

SITARAM

Gen. Secretary

9312238830

RAJNEESH SHARMA

Secretary

9818569678

SAURABH GUPTA

Secretary

9810943745

MATLOOB ALAM

Secretary

9818946781

MANJEET KAUR

Secretary

9210565722

RAHUL AGGARWAL

Treasurer

9871420213

नई प्रणाली से दिल्ली के राशन उपभोक्ता/राशन डीलर्स को कई फायदे थे जो निम्न है:-
जैसे कि नई प्रणाली पूरी तरह ऑनलाइन होने के कारण उपभोक्ता अपना राशन किसी भी राशन दुकान से ले सकता था.

1. ऑनलाइन होने के कारण कोई भी व्यक्ति राशन दुकान के सेल व स्टॉक की जानकारी चेक कर सकता था.
2. ऑनलाइन सिस्टम 24 घंटे तथा सप्ताह के 7 दिन कार्यरत था.
3. ऑनलाइन होने से अपने राशन की जानकारी की मात्रा और मूल्य तथा वितरण की जानकारी भी उपभोक्ता को हो जाती थी.
4. ऑनलाइन प्रणाली से राशन की फर्जी बिक्री संभव नहीं थी.
5. ऑनलाइन प्रणाली से राशन वितरण करने पर प्रतिमाह लगभग 25 लाख कागजों की बचत हुई जिससे लगभग 500 पेड़ों को काटने से भी बचाया जा सका.
6. पेपर रहित कार्य होने के कारण कैशमेमो/ सेल/स्टॉक रजिस्टर पर स्टेशनरी खर्च की मासिक बचत होती थी.
7. राशन डीलर्स की मार्जिन-मनी 2/- रुपये प्रति किलो मिलती थी जबकि मैनुअल राशन वितरण करने पर यह कमीशन 70 पैसे प्रति किलो मिलेगी! जिससे दुकान का खर्च वहन करना और ईमानदारी से राशन का वितरण करना असंभव है.


यदि दिल्ली सरकार इस पुरानी प्रणाली को ही चलाना चाहती है, तो दिल्ली के राशन डीलर्स की मार्जिनमनी 2/- रुपये प्रति किलो मैनुअल वितरण करने पर भी दी जाए, ताकि दिल्ली के राशन डीलर्स ईमानदारी के साथ अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें! अन्यथा दिल्ली के राशन डीलर्स जून-2018 हेतु राशन के आवंटन का अग्रिम भुगतान तथा वितरण ना करने पर मजबूर होंगे, उपभोक्ता को होने वाली परेशानी के लिए विभाग तथा सरकार जिम्मेवार होगी! असुविधा के लिए दिल्ली के समस्त राशन डीलर्स क्षमा प्रार्थी हैं.

आप सभी से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली के जरूरतमंद राशन उपभोक्ताओं तथा दिल्ली के राशन डीलर्स के हित में उचित फैसला कर दिल्ली के राशन उपभोक्ताओं को राहत दिलाएंगे.

सधन्यवाद



DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI



Office : Shop No. 2 & 3. C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035

E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

Website : www.dsrdsdelhi.com

Registration No. : S/3097/SDM/NW/2018

DSRDS

Ref. : DSRDS-DELHI/2018/NO. 10-16

Date : 30-04-18

SHIV KUMAR GARG

President

9212567435

JAGDISH PRASHAD

Sr. Vice President

9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL

Vice-president

9810630323

SHYAM SUNDAR

Vice President

9911178848

SUNIL SHARMA

Vice President

9310023180

MANOJ SHARMA

Vice President

9582203929

HARI KRISHAN (LILU)

Vice-President

9212442834

SITARAM

Gen. Secretary

9312238830

RAJNEESH SHARMA

Secretary

9818569678

SAURABH GUPTA

Secretary

9810943745

MATLOOB ALAM

Secretary

9818946781

MANJEET KAUR

Secretary

9210565722

RAHUL AGGARWAL

Treasurer

9871420213

आपका विश्वासी

शिव कुमार गर्ग

अध्यक्ष-दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली प्रदेश

मोब :- 9212567435



नोट:- दिल्ली के राशन डीलर्स E -POS मशीन/ बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से ईमानदारी के साथ राशन वितरण करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा मैन्युअल राशन वितरण करने के आदेश तथा राशन डीलर्स की मार्जिनमनी/ कमीशन मात्र 70 पैसे प्रति किलो किए जाने के विरोध में दिल्ली के राशन डीलर्स 1 मई 2018 तथा 2 मई 2018 को सांकेतिक हड़ताल करने पर मजबूर हैं। असुविधा के लिए खेद है।

प्रतिलिपी:-

1. श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार.
2. सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, बी.पी.-3, कृषी भवन, नई दिल्ली.
3. श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र -दिल्ली सरकार, दिल्ली.
4. श्री इमरान हुसैन, माननीय खाद्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली सरकार, दिल्ली.
5. श्री अंशु प्रकाश, IAS, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली सरकार, दिल्ली.
6. श्री मोहनजीत सिंह, IAS, सचिव एवं आयुक्त खाद्य एवं आपूर्ति विभाग-दिल्ली.

